सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-3149/MH/6/2025-RU-I

दिनांक: 05/05/2026.

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-पालघर,
पालघर-बोईसर रोड, कोलगांव,
पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.palghar@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-पालघर,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
प्रशासनिक भवन, मोरेखुरान रोड,
कोलगाँव, पालघर-401404, महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.palghar@mahapolice.gov.in

विषय: श्री मिधुन विजय भोईर, ग्राम चारोटी, तहसील डहाणू, जिला पालघर स्थित गट क्र. 217/2 की संपत्ति पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के संबंध में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 04.10.2025 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री मिधुन विजय भोईर,
ग्राम चारोटी, तहसील डहाणू,
जिला-पालघर, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-3149/MH/6/2025-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

ग्राम चारोटी, तहसील डहाणू, जिला पालघर स्थित गट क्र. 217/2 की अनुसूचित जनजाति की भूमि पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण कर झूठे दस्तावेजों के नाम पर घरपट्टी बनवाने के सम्बन्ध में श्री मिथुन विजय भोईर का अभ्यावेदन दिनांक – 04.10.2025 पर आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2026 को सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि: दिनांक: 16.03.2026

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को दिनांक 04.10.2025 को श्री मिथुन विजय भोईर, निवासी ग्राम चारोटी, तहसील डहाणू, जिला पालघर (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार गट क्र. 217/2, क्षेत्र 40 आर. उनकी पुश्तैनी भूमि है, जो महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 36 एवं 36(अ) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित है। उक्त भूमि पर आवेदक परिवार द्वारा खेती एवं अन्य व्यवसाय किया जाता था तथा भूमि के एक भाग पर गैर-कृषि उपयोग हेतु मकान क्रमांक 349 एवं 350 निर्मित किए गए हैं।

अभ्यावेदन के अनुसार उक्त मकानों को 11 माह के किराया अनुबंध पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों को होटल व्यवसाय हेतु वर्ष 2014 में दस वर्ष के लिए दिया गया था, परंतु वर्ष 2024 में अनुबंध समाप्त होने के पश्चात भी संबंधित व्यक्तियों द्वारा भवन खाली नहीं किया है। इसके विपरित उनके द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से घरपट्टी अपने नाम दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा किये जा रहे सभी कृत्य अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक रूप से लागू भूमि संरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन है।

प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 02.12.2025 को जिला कलेक्टर, पालघर एवं पुलिस अधीक्षक, पालघर को नोटिस जारी किया गया था। पुलिस अधीक्षक, पालघर द्वारा दिनांक 16.01.2026 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि संबंधित भूमि अनुसूचित जनजाति के परिवार के संयुक्त स्वामित्व की है तथा पूर्व में गैर-आवेदक को पट्टे पर दी गई थी, जिसके आधार पर होटल निर्माण एवं व्यवसाय संचालित है। तहसीलदार-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डहाणू द्वारा दिनांक 04.03.2024 को पारित आदेश के अनुसार यह पाया गया कि उक्त भूमि पर कब्जा पट्टा (Lease) समझौते के आधार पर है, अतः इसे अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। आवेदक को निर्देशित किया गया कि वे पहले पट्टा (Lease) समझौते को

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सिविल न्यायालय के माध्यम से निरस्त करें, तत्पश्चात ही आगे की कार्रवाई संभव है। साथ ही, मकान कर संबंधी विवाद के निवारण हेतु ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के समक्ष आवेदन करने की सलाह दी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा अभी तक पट्टा समझौते को निरस्त करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

. जिला प्रशासन का जवाब असंतोषजनक होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16/3/2026 को सिटिंग आहूत की गई।

सुनवाई तिथि के दिन जिला कलेक्टर कार्यालय, पालघर, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि डॉ. नरेंद्र माने, तहसीलदार तथा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि अधिकरिक पत्र के साथ उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में जिला कलेक्टर कार्यालय, पालघर, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय,पालघर, महाराष्ट्र द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित भूमि पर पूर्व से पट्टा (Lease) समझौते के आधार पर होटल व्यवसाय संचालित है तथा तहसीलदार-सह-कार्यकारी मजिस्ट्रेट, दहानू द्वारा दिनांक 04.03.2024 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसे अनधिकृत अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। उक्त आदेश के अनुसार आवेदक को पट्टा (Lease) समझौते को निरस्त करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में विधिक प्रक्रिया अपनानी आवश्यक है। साथ ही, मकान कर संबंधी विषय ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।

जिला कलेक्टर कार्यालय, पालघर के लिखित जवाब में अवगत कराया गया कि उक्त भूमि मूलतः आवेदक के पूर्वजों की है तथा महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 36 एवं 36(अ) के अंतर्गत संरक्षित है। भूमि के एक भाग (0.40 हेक्टेयर) को वर्ष 1985 में वाणिज्यिक उपयोग (होटल) हेतु बिनशेती (NA) अनुमति प्रदान की गई थी। यह पाया गया कि उक्त भूमि पर "न्यू पंजाब" एवं "शेरे पंजाब" नामक होटल पूर्व से पट्टा/आपसी समझौते के आधार पर संचालित हो रहे हैं। आवेदक के अनुसार पट्टा अवधि वर्ष 2024 में समाप्त हो चुकी है, किन्तु संबंधित व्यक्तियों द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया है। तहसीलदार, दहानू के आदेश (दिनांक 04.03.2024) के अनुसार मामला अतिक्रमण का न होकर आपसी पट्टा/करार विवाद का है, जिसके निस्तारण हेतु आवेदक को सिविल न्यायालय में करार निरस्तीकरण की विधिक प्रक्रिया अपनाने तथा घरपट्टी संबंधी विषय हेतु पंचायत स्तर पर पृथक आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं।

1. मामले के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से यह तथ्य स्पष्ट है कि मामले में विवादित भूमि पर गैर जनजाति व्यक्तियों का कब्जा है जिसके संबंध में तहसीलदार दहानु द्वारा बताया गया है कि गैर जनजातियों द्वारा फरियादी की भूमि को पट्टे में लिया गया है। अतः इसे आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी का कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं माना जा सकता इस संबंध में महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की **धारा 36ए (Section 36A)** आदिवासियों की भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित (बिक्री, पट्टा, गिरवी) करने पर कड़े प्रतिबंध लगाती है। यह प्रावधान आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिए

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

बनाया गया है। इस धारा के तहत, कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति और राज्य सरकार की मंजूरी के बिना आदिवासी भूमि का हस्तांतरण अवैध है।

धारा 36ए के मुख्य प्रावधान:

- **हस्तांतरण पर रोक:** आदिवासी अपनी जमीन किसी गैर-आदिवासी को तब तक नहीं बेच सकते, पट्टे पर नहीं दे सकते या गिरवी नहीं रख सकते, जब तक कि कलेक्टर इसकी अनुमति न दे दे।
- **प्रक्रिया:** गैर-आदिवासी व्यक्ति को कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा और कलेक्टर को पहले संतुष्ट होना होगा कि हस्तांतरण के लिए कोई आदिवासी खरीदार उपलब्ध नहीं है।
- **अपवाद:** 5 वर्ष से अधिक न होने वाले पट्टे या गिरवी के लिए केवल कलेक्टर की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। मामले में प्राधिकारियों द्वारा ऐसी कोई भी स्वीकृति जो कलेक्टर द्वारा दी गई हो प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः महाराष्ट्र राजस्व अधिनियम की धारा 36 ए के आज्ञापक प्रावधान मामले में लागू होते हैं।

आयोग द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त निम्न अनुशंसाएं की जाती है:

1. जिला कलेक्टर पालघर तहसील-दहानु, ग्राम- चारोटी (551692) की भूमि सर्वे नं. 217/2 रकबा 0.0304 हेक्टेयर में गैर जनजातियों द्वारा किए गए कब्जे को महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 की धारा 36 ए के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई कर तत्काल खाली कराकर उसका कब्जा आवेदक को सौंपे एवं 15 दिवस के भीतर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

2. पुलिस अधीक्षक पालघर जिला पालघर, तहसील-दहानु, ग्राम- चारोटी की भूमि सर्वे नं. 217/2 रकबा 0.0304 हेक्टेयर में गैर जनजातियों द्वारा किए गए अवैधानिक कब्जे के संदर्भ में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की **धारा 3(1)(छ)** के अंतर्गत, एफआईआर दर्ज कर 15 दिवस के भीतर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/ATY-3149/MH/6/2025-RU-I

दिनांक: 16.03.2026

विषय: श्री मिथुन विजय भोईर, ग्राम चारोटी, तहसील डहाणू, जिला पालघर स्थित गट क्र. 217/2 की संपत्ति पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के संबंध में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 04.10.2025 के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-पालघर, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	डॉ. नरेंद्र माने.	तहसिलदार (सा.प्र.)	8856831923	[illegible] 16/03/2026
2.	[illegible]	जिलाधिकारी कार्या. पालघर.		
3.		उप विभागीय पोलीस अधिकारी [illegible], पालघर	8208056758	[illegible]
4.				

पुलिस अधीक्षक, जिला-पालघर, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Kailash L. [illegible]	farmer	927000059	[illegible]
2.	Chetan A. Vradya	Teacher	9673864362	Vadya
3.				
4.				